आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 467/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच॰ डी॰ एफ॰ सी॰ बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय एचडीएफसी बैंक हाऊस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल, पश्चिमी मुम्बई–400013

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स जैना स्टील कॉर्पोरेशन जरिये प्रोपराईटर विजय कुमार जैन,
   पता :– 19, दूदू का बाग, सिटी सेंटर के सामने, संसार चंद्र रोड़, जयपुर।
2. श्री विजय कुमार जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन,
3. श्रीमती मीनू जैन पत्नी श्री विजय कुमार जैन,
   पता :– बी–50, लेन नं. 2, अजमेर रोड़, गोपाल बाड़ी, जयपुर।
4. मैसर्स विराट स्टील इण्डस्ट्रीज जरिये निदेशक श्रीमती मीनू जैन,
   पता :– एफ–19, रोड़ नं. 02, वीकेआई एरिया, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री रजत बंसल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक: 13.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मीनू जैन के स्वामित्त्व की सम्पत्ति (1.) प्लॉट नं. 12, संगम कॉलोनी, सीकर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 220 वर्गगज एवं (2.) फ्लेट नं. एस–1, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 152–153, स्कीम नं. 10, किसान नगर, श्याम नगर के पास, अजमेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 1145 वर्गफीट एवं (3.) प्लॉट नं. ए–154, मल्होत्रा नगर योजना, जयपुर, क्षेत्रफल 377.78 वर्गगज एवं (4.) फ्लेट नं. टी–2, तृतीय तल, नन्दिनी अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. एए–1/1, लक्ष्मण कॉलोनी, श्याम नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट एवं श्री विजय कुमार जैन के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. ए–151, मल्होत्रा नगर योजना, जयपुर, क्षेत्रफल 366.60 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 24.11.2017, दिनांक 26.11.2018, दिनांक 18.02.2019, दिनांक 01.01.2020 एवं दिनांक 26.10.2020 को कुल राशि 21,00,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 21,00,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 10,00,28,070.71/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.08.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मीनू जैन के स्वामित्त्व की सम्पत्ति (1.) प्लॉट नं. 12, संगम कॉलोनी, सीकर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 220 वर्गगज एवं (2.) फ्लेट नं. एस-1, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 152-153, स्कीम नं. 10, किसान नगर, श्याम नगर के पास, अजमेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 1145 वर्गफीट एवं (3.) प्लॉट नं. ए-154, मल्होत्रा नगर योजना, जयपुर, क्षेत्रफल 377.78 वर्गगज एवं (4.) फ्लेट नं. टी-2, तृतीय तल, नन्दिनी अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. एए-1/1, लक्ष्मण कॉलोनी, श्याम नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट एवं श्री विजय कुमार जैन के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. ए-151, मल्होत्रा नगर योजना, जयपुर, क्षेत्रफल 366.60 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **13.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर